

4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत

1993 सीरियल ब्लास्ट केस, गुजरात ATS से CBI ने कस्टडी में लिया

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों के चार आरोपियों को अदालत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में आरोपियों की 29 साल से तलाश थी. गुजरात एटीएस ने पिछले सप्ताह इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से धर दबोचा था. इस केस को गुजरात एटीएस से सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है. मुंबई में साल 1993 में 12 जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे. चार आरोपियों की तलाश में गुजरात एटीएस और सीबीआई की टीम पिछले 29 साल से कर रही थी. गुजरात एटीएस ने मुस्लेवी दिखते हुए पिछले सप्ताह इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया. सोमवार को इन आरोपियों को



अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अब इस केस को गुजरात एटीएस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. इन चारों आरोपियों को सिर्फ मुंबई पुलिस, सीबीआई और गुजरात एटीएस ही नहीं तलाश कर रही थी, बल्कि आरोपियों को दुनिया की कई सुरक्षा

एजेंसियां तलाश रही थीं. इन चारों आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका था. गुजरात एटीएस ने 12 मई को इन आरोपियों को अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके से गिरफ्तार किया था. ये आरोपी एयरपोर्ट स्कैन के पास से संदेहास्पद स्थिति में गुजरात एटीएस के हथके चढ़े थे. आरोपियों में

आरोपियों से फर्जी पासपोर्ट हूए थे बरामद

■ इनमें से अब बकर के पास से कर्नाटक बंगलुरु निवासी जावेद बाशा के नाम का फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है. जबकि सैयद कुरेशी के पास से तमिलनाडु विल्लुपुरम निवासी सैयद अब्बास शरीफ के नाम का पासपोर्ट बरामद किया गया है. बम धमाकों में हुई थी 257 लोगों की मौत 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी. इन धमाकों में 700 से भी ज्यादा लोग



घायल हुए थे. इन धमाकों के आरोपियों में से 189 लोगों को खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया है. साल 2006 में मुंबई कोर्ट ने इनमें से 100 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था. मुसाफिरखाना निवासी मोहम्मद शोएब कुरेशी उर्फ शोएब बाबा और फ्रॉन्टेंड मार्केट निवासी सैयद कुरेशी शामिल हैं.

QUICK NEWS

एपीएमसी में मजदूर की हत्या

नवी मुंबई, वाशी स्थित एपीएमसी की सब्जी मंडी में काम करने वाले एक मजदूर द्वारा अपने साथी की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. एपीएमसी पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया है. घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश करने के लिए पुलिस द्वारा 2 दर्से बनाए गए हैं. नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के परिमंडल-1 के पुलिस उपअध्यक्ष विवेक पनसारे के अनुसार मृतक का नाम शंकर पासरे है. जो एपीएमसी की सब्जी मंडी में गाला क्रमांक-ई-897 के पास मजदूर का काम करता था. शंकर के साथ रवि नामक व्यक्ति भी काम करता था. रविवार की रात में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, इस विवाद के दौरान रवि ने शंकर को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

मनपा चुनाव की लॉटरी आज

236 सीटों के लिए निकलेगी लॉटरी

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. महानगरपालिका चुनाव के लिए मंगलवार को लॉटरी निकाली जाएगी. यह लॉटरी ओबीसी आरक्षण के बिना निकाली जाने वाली है. लॉटरी छोटे बच्चों के हाथों निकाली जाएगी. पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उसके बाद महिला वर्ग की लॉटरी निकाली जाएगी. लॉटरी 13 जून को फाइनल कर दी जाएगी. बीएमसी की 236 सीटों पर लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की नजर आज निकलने वाली लॉटरी पर रहेगी. मुंबई मनपा में 227 वार्ड थे, जिसमें 9 सीटें बढ़ा कर 236 कर दिया गया है. वार्ड परिसीमन को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. 31 मई को बांद्रा के रंगशारदा हॉल में सुबह 11 बजे से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

ऐसे होगा वार्डों का आरक्षण

| | |
|-----------------------------------|-----|
| कुल वार्ड | 236 |
| महिलाओं के लिए वार्ड | 118 |
| अनुसूचित जाति | 15 |
| अनुसूचित जनजाति | 2 |
| महिला आरक्षण | 2 |
| महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड | 118 |
| महिलाओं के लिए सामान्य वार्ड | 109 |
| अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए | 8 |
| अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए | 1 |

के निस्तारण के बाद 13 जून को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी. दलगत उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया वार्ड की लॉटरी घोषित होने के उपरांत राजनीतिक दल किस वार्ड से कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाए, उस पर मंथन शुरू कर देंगे. पिछली बार जो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थे, उनमें से ज्यादातर वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित हो जाएंगे, इसलिए लोग आस-पास के वार्ड से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे या तो अपनी पत्नियों और बच्चों पर दांव खेलेंगे. बीएमसी में वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई, वार्डों के आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

व्यापारी परिवार को 68 लाख मिलेगा मुआवजा

■ ठाणे, (सं.) सड़क हादसे में मारे गए कारोबारों के परिवार को 67.80 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसटीडी) ने दिया है. एमएसटीडी के अध्यक्ष अजय जे मंत्री ने हाल में दिए अपने एक आदेश में हादसे के लिए जिम्मेदार बस कंपनी के मालिक और वाहन के बीमाकर्ता को दावा दायर किए जाने की तारीख से 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने का आदेश दिया. गुंडू तुकाराम गावडे 12 सितंबर, 2019 को एक बस में सवार होकर बंगलुरु जा रहा था, तभी बस चालक ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में पुणे-बंगलुरु राजमार्ग पर म्हासवे गांव के निकट वाहन पर से नियंत्रण खो दिया.

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, हैदराबाद-500 019

समवती लेखापरीक्षाकर्ता के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मो का मनोनयन

बैंक की शाखाओं/काइयों में समवती लेखापरीक्षाकर्ता के रूप में मनोनयन के लिए पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के लिए प्रोफार्मा, पात्रता मानदंड एवं अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर 'प्रोक्वोरमेंट न्यूज' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

नोट: समवती लेखापरीक्षाकर्ता (निगमित समवती लेखापरीक्षा) / आर.ए.सी.सी. / सी.सी.सी. के रूप में मनोनीत सी.ए. फर्मों की समस्त प्रतीक्षा सूची इस प्रकाशन के साथ ही रह हो जाएगी।

स्थान: हैदराबाद
हस्ताक्षर: /
तिथि: 31.05.2022
उप महाप्रबंधक (मा.सं., प्रशा. एवं पचावलन)

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400021
सूचना

शेयरधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि एसबीआई के शेयर का अंकित मूल्य रु. 10 से विभक्त करके रु. 1 करने की प्रक्रिया में बैंक द्वारा जारी शेयर प्रमाण-पत्र, जिनका अंकित मूल्य रु. 10 है, दिनांक 22 नवंबर 2014 से प्रभावी होकर अमान्य हो गए हैं. इस संबंध में दिनांक 05.11.2014 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी. तदनुसार, सभी उद्देश्यों से, इस सूचना में दिए गए शेयरों के विवरण रु. 1 अंकित मूल्य के शेयर प्रमाण-पत्रों के हैं. एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की निम्न उल्लेखित प्रतिभूतियों के लिए शेयर/बॉण्ड प्रमाण-पत्र पंजीकृत धारक/धारकों से उक्त शेयर/बॉण्ड की नियत अवधि में उपयुक्त रूप से पूर्णकृत अंतरण अनुबंध(धो) के साथ/बिना गुण/खो गए हैं और उन्हीने बैंक को उनके नाम से डुब्लिकेट शेयर/बॉण्ड प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है. कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त शेयर/बॉण्ड के संबंध में कोई दावा है, उसे ऐसा कोई भी दावा बैंक के अंतरण अभिकर्ता, मे. एलेक्ट्रिक आइडनमंडस लिमिटेड, 205-208, अनाकरकोई कॉम्प्लेक्स, इंडेवगार्ल एस्टेटेशन, नई दिल्ली - 110055, (ई-मेल आईडी: sbi.igr@alankit.com) पर इस तिथि से 7 दिनों के भीतर के पास दर्ज करवाना चाहिए, अन्यथा, बैंक द्वारा किसी भी आगामी सूचना के बिना, डुब्लिकेट शेयर बॉण्ड प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी.

| क्र. सं. | फोलियो सं. | धारक(कों) का नाम | शेयरों की संख्या | प्रमाणपत्र संख्या | से | तक | विशिष्ट संख्या | तक |
|----------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|----------------|----|
| 1 | 00774978 | ललता प्रसाद पांडे सरिता चंद्र पांडे | 600 | 52915 | 92915 | 7386038271 | 7386038870 | |
| 2 | 02267019 | सुधा खरे | 500 | 186471 | 186471 | 7440383591 | 7440384090 | |
| 3 | 02430720 | ओम प्रकाश माटिया | 670 | 193887 | 193888 | 7444147261 | 7444147930 | |
| 4 | 00826700 | श्रीमती शमल सुंदर रहा | 530 | 73812 | 73813 | 7391252071 | 7391252600 | |
| 07000117 | श्रीमती शमल सुंदर रहा | 100 | 226164 | 226164 | 7459864761 | 7459864860 | | |
| 5 | 02274010 | राजेश्वर विनायकराव गंगने | 600 | 187271 | 187271 | 7440783061 | 7440783660 | |
| 6 | 01464643 | आर मुखिया | 500 | 134317 | 134317 | 7413515991 | 7413516490 | |
| 7 | 02506207 | श्रीमती शमल एम जयंती | 1000 | 197650 | 197650 | 7446069031 | 7446070030 | |
| 8 | 01668444 | बेंकटेश रामरव कुलकर्णी | 500 | 150545 | 150545 | 421942511 | 7421943810 | |
| 9 | 07423898 | नामदेव राम एम | 275 | 622409 | 622409 | 8015540885 | 8015541159 | |
| 10 | 00910459 | अनुष्का नागेश एम वी नागेश | 920 | 103420 | 103421 | 7398480091 | 7398481010 | |
| 11 | 01893165 | रामचंद्रावार्ता शर्मा | 500 | 161622 | 161622 | 7427586081 | 7427586580 | |
| 12 | 01893164 | उमा देवी | 500 | 161621 | 161621 | 7427585581 | 7427586080 | |
| 13 | 01324051 | दीपा डी पटेल | 500 | 128779 | 128779 | 7410751871 | 7410752370 | |
| 14 | 01662484 | सरला देवी आचार्य | 500 | 149615 | 149615 | 7421470201 | 7421470700 | |
| 15 | 01637201 | तोतला रेखा | 500 | 147055 | 147055 | 7420178651 | 7420179150 | |
| 16 | 00868962 | गुण्डाकरम कृष्णामूर्ति जी के तिरुकरामसुन्दरी | 820 | 88410 | 88411 | 7394829061 | 7394829880 | |

उपरोक्त आईडेंटिफिकेशन विवरण के परिणामस्वरूप रु. 1/- के अंकित मूल्य के वर्तमान शेयरों के विवरण प्रस्तुत करते हैं (रिकॉर्ड दिनांक 21.11.2014).
स्थान: मुंबई
दिनांक: 31.05.2022
शेयरों की संख्या: 9515
प्रमाण पत्रों की संख्या: 21
महाप्रबंधक (शेयर एवं बॉण्ड)

आर्यन खान कूज ड्रस पार्टी मामले में आर्यन खान वानखेड़े की नौकरी पर लटकी तलवार

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के कूज ड्रस पार्टी मामले के बाद सुविधियों में आए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. केंद्र सरकार ने समीर वानखेड़े पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. सोमवार को समीर वानखेड़े ने दृष्टि की किरा कि वह नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि नकारात्मकता पर ध्यान देंगे, तो



प्रगति नहीं होगी. वह हर विषय को सकारात्मक रूप से देखते हैं. इसलिए वह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. एसआईटी की आर्यन कूज ड्रस पार्टी मामले की जांच में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. इस मामले में आर्यन को क्लिन चिट दी गयी है. उसके बाद से समीर वानखेड़े एवं उनकी टीम की किरा कि वह नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि नकारात्मकता पर ध्यान देंगे, तो

25 करोड़ की फिरोती मांगने का आरोप

उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है. वर्तमान में समीर वानखेड़े राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) में कार्यरत हैं. समीर वानखेड़े की टीम ने 2 अक्टूबर को कूज ड्रस पार्टी पर छापेमारी की थी. गवाह प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा जारी कर आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने एक अन्य गवाह किरण गोसावी के माध्यम से शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए फिरोती की मांग की थी. बाद में 18 करोड़ रुपए पर सौदा तय हुआ था. उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलना था.

10 घंटे में 5 लोग गिरफ्तार

ठाणे. शील डायघर पुलिस ने घटना के 10 घंटे के भीतर ओला कार चालक की हत्या की गुन्थी सुलझाते हुए फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फरार हुए हरिसरल शेख और प्रशांत परिया दोनों (दिवा), आशिष भोसले (भांडुप), ऑंकार कासेकर (कलवा) के रहने वाले हैं. ठाणे से गिरफ्तार पांचवां आरोपी नाबालिग है. 29 मई को आरोपियों ने कार को बदलापुर से दिवा के लिए बुक किया था. दिवा खर्ची मार्ग पर शील डायघर के करीब एक निर्जन स्थान पर आरोपियों ने लघु शंका के बहाने कार को रोका. नीचे उतरने के बाद इन्होंने कार चालक मोहम्मद अंसारी से लुटपाट की और बाद में पथरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद कार वहीं छोड़ कर आरोपी फरार हो गए थे. घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पक्षियों ने दिए अच्छी बरसात के संकेत

पक्षी विशेषज्ञ ने साझा की जानकारी



पूर्व में मनुष्य पक्षियों के बर्ताव से समझ जाता था कि बरसात कब होने वाली है. लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब पक्षियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है. फिर भी पक्षी विशेषज्ञ आज भी पक्षियों के बर्ताव को समझ जाते हैं कि बरसात कब होने वाली है. पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सुधीर गायकवाड़ ने बताया कि पक्षी नजर आने से यह साफ हो जाता है कि जल्द ही बरसात होने वाली है. ठाणे जिले में पक्षी 'हा' व इंडियन पिट्टा पक्षी दिखने लगे हैं.

पक्षियों के बर्ताव से लग जाता है अनुमान

पूर्व में मनुष्य पक्षियों के बर्ताव से समझ जाता था कि बरसात कब होने वाली है. लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब पक्षियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है. फिर भी पक्षी विशेषज्ञ आज भी पक्षियों के बर्ताव को समझ जाते हैं कि बरसात कब होने वाली है. पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सुधीर गायकवाड़ ने बताया कि पक्षी नजर आने से यह साफ हो जाता है कि जल्द ही बरसात होने वाली है. ठाणे जिले में पक्षी 'हा' व इंडियन पिट्टा पक्षी दिखने लगे हैं.

घोडबंदर रोड पर पलटें 2 कंटेनर

एक घंटे ट्रैफिक जाम

■ ठाणे, (सं.) घोडबंदर रोड पर सोमवार तड़के गायमुख गांव के समीप दो कंटेनर एक साथ पलट गए, इससे दोनों तरफ वाहनों का आवागमन बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस घटना में दो चालक व क्लीनर समेत तीन लोग घायल हो गए. इस हादसे के कारण घोडबंदर रोड करीब एक घंटे तक जाम रहा. सूचना मिलने पर आपदा प्रबंधन



की टीम और कासारवडवाली पुलिस मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में जुट गईं. हादसे में दिल्ली से 10 टन कपड़े लेकर न्हावा सेवा बंदरगाह जा रहे कंटेनर चालक वकील खान को मामूली चोटें आई हैं.

पश्चिम रेलवे सार्वजनिक सूचना

एमयूटीपी (11) अंतर्गत पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल और बोरीवली स्टेशन के बीच में 6ठी लाइन प्रदान करने के प्रयोजन हेतु अनुमानित 110 मी. की लंबाई में 312.70 वर्गमीटर क्षेत्र की रेलवे फिन्सी. 19/4 से 19/6सी के बीच की आजाद रोड/तेजपाल रोड, विलेपार्ले (पूर्व) के मौजूदा रोड की जमीनी का एक भाग दि. 11.11.2021 को अधिग्रहित किया गया है. जमीन के उक्त हिस्से के अधिग्रहण हेतु सड़क भाग पर निर्माण कार्य दि. 31.05.2022 से प्रारंभ होगा.

| क्रमांक | के लिए साक्षात्कार | साक्षात्कार की संभावित तिथि | स्थान | पद | पदों की संख्या | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------|----|
| 1 | ईएसआयसी | 03/06/2022 | मॉडेल साक्षात्कार केंद्र, ईएसआईसी मॉडल अस्पताल भर्ती शाखा, ईएसआईसी अस्पताल परिसर कांदिवली, अकुरली रोड, ठाकुर हाउस के पास, कांदिवली पूर्व, मुंबई - 400 101. | जीडीएमओ के लिए एसआर 1 वर्ष | 23 | |
| 2 | हॉस्पिटल सह ओडीसी अंधेरी, मुंबई | 04/06/2022 | ईएसआईसी मॉडल अस्पताल भर्ती शाखा, ईएसआईसी अस्पताल परिसर कांदिवली, अकुरली रोड, ठाकुर हाउस के पास, कांदिवली पूर्व, मुंबई - 400 101. | पाठ टाइम सुपर स्पेशलिस्ट | 1 | |
| 3 | | | | पाठ टाइम स्पेशलिस्ट | 3 | |
| | | | | | कुल | 27 |

निगम में एसआर द्वारा प्रदान की गई सेवा को महाराष्ट्र सरकार के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बंधित सेवा माना जाएगा। निर्णय संख्या एफईडी/1013/एडमिन संख्या 101/13/इडीयू - 2 दिनांक 31.01.2014 इच्छुक उम्मीदवार पदों, पात्रता शर्तों और साक्षात्कार कार्यक्रम के विवरण के लिए वेबसाइट www.esc.nic.in देख सकते हैं।

एसडी/-
चिकित्सा अधीक्षक
एक ही बीमा नंबर रखो हर बार चाहे बदलो रोजगार हर बार इससे है मिलता हितलाभ लगावा!

साकीनाका निर्भया केस आरोपी दोषी करार

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. साकीनाका इलाके में एक 34 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्या मामले को मुंबई की निर्भया का नाम दिया गया था. आरोपी मोहन चौहान को दिंडोशी की फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी करार दिया है. सरकारी वकील महेश मुले ने बताया कि न्यायालय ने सजा पर बहस के लिए 1 जून 2022 की तारीख निर्धारित की है. पुलिस के अनुसार वारदात 9 सितंबर 2021 की रात को हुई थी और 10 सितंबर की सुबह मामला उजागर होने के बाद हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज कर साकीनाका पुलिस ने जांच शुरू की. कुछ घंटों में ही पुलिस ने 45 वर्षीय मोहन कथाहर चौहान को पकड़ लिया था.

सजा पर बहस के लिए 1 जून की तारीख निर्धारित



पुलिस की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें कहा गया था कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे और करीबी भी थे. आरोपी का कहना था कि वो उससे नाराज था, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था. इसलिए वो 25 दिनों से उसकी तलाश कर रहा था. लेकिन असफल रह गया. चार्जशीट के मुताबिक 25 दिन बाद 9 सितंबर की रात जब उसने महिला को देखा तो गुस्से में उस पर हमला कर दिया.

मुंबई रेलवे विकास प्राधिकरण लि.
(भारत सरकार, रेल मंत्रालय का एक एजेंसि)
एसपीएम संदर्भ सं. एमआरसीसी/डब्ल्यू/116/ओएचई
अतिरिक्त पद दिनांक 31.05.2022

मुंबई रेलवे विकास प्राधिकरण लि. (एमआरसीसी) जिनका पंजीकृत कार्यालय 2री मंजिल चर्चिटे स्टेशन भवन, चर्चिटे, मुंबई-400 020 में स्थित है, "एसपीसी-III अंतर्गत पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में विहार-दहाण रोड अनुभाग (विहार और दहाण रोड स्टेशन सहित) में ओएचई के सुधार तथा अतिरिक्त के निवास हेतु एक चरण दो लिफाका प्रणाली अंतर्गत ई-बोलीय आमंत्रित करते हैं (विहार-दहाण रोड अनुभाग के चौपटकरण के संबंध में).

कोई बोली दस्तावेज वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> पर उपलब्ध है. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> से समस्त दस्तावेज डाउनलोड करें. ई-बोली दस्तावेज दि. 31.05.2022 से 13.07.2022 को 12.30 बजे तक डाउनलोड करें. ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि 14.07.2022 को 12.30 बजे तक है. बोली 14.07.2022 को 15.30 बजे खोली जाएगी. अधिक जानकारी के लिये कृपया <https://eprocure.gov.in> पर विशिष्ट प्रोक्वोरमेंट सूचना (एसपीएम) देखें.

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in
आजादी का अमृत महोत्सव

पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भायखला ऑफिस बिल्डिंग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400008

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार

रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी, 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी, 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई, 2022 तक बढ़ाया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 एकी उप धारा (1) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 26 मई, 2022 के निदेश सं DOR.MON/D-14/12.22.218/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 31 अगस्त, 2022 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 26 मई, 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
(मोनिषा चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

पश्चिमी अपतटीय इकाई, मुंबई
विज्ञापन संख्या 02/2022/डीओसी/डब्ल्यूओयू-मुंबई
30/06/2024 तक की अवधि के लिए मुंबई, पनवेल, न्हावा और उरण में स्थित ओएनजीसी के कार्यालयों में अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), सार्वजनिक क्षेत्र का एक "महाराष्ट्र" उद्यम, अपने मुंबई, पनवेल, न्हावा और उरण में स्थित कार्यालयों में ₹40,000/- प्रति माह से लेकर ₹1,05,000/- प्रति माह (पद की प्रकृति के आधार पर) के समेकित मानदेय पर दिनांक 30.06.2024 तक की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर जनरल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी/विजिटिंग स्पेशलिस्ट/व्यावसायिक स्वास्थ्य/होम्योपैथी डॉक्टरों की नियुक्ति का इरादा रखता है। उपलब्ध पदों का विवरण निम्नानुसार है: